कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 148 / XXV–12 / 2008(P-2) देहरादून : दिनांक 09 मार्च, 2013

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
पौड़ी गढ़वाल।

विषय:- **सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र के हस्तान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रथम अपीलीय अधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2032 दिनांक 05-03-2013 के माध्यम से प्राप्त प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव, प्राध्यापक (भौतिकी), आवास पटौटिया बाजार, तहसील-धूमाकोट, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत अपील, जो अपील आपके कार्यालय/विभाग से संबधित हैं, को नियमानुसार निस्तारण हेतु संलग्न कर करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है।

अत: कृपया तद्नुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का नियमानुसार निस्तारण करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव, प्राध्यापक (भौतिकी), आवास पटौटिया बाजार, तहसील-धूमाकोट, जिला पौड़ी गढ़वाल को उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त सन्दर्भित अपील के क्रम में।

(मस्तू दास)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी

सूचना
का अधिकार

सत्यमेव जयते

2832 विशेष वाहक द्वारा
पत्रांक : /रा.नि.आ.-1/1401/2013

दिनांक 7/3/2013

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

प्रथम अपीलीय अनुरोध पत्र हस्तातंरण

अपर सचिव/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, 4–सुभाष रोड़
देहरादून।

महोदया,

संलग्न सूचना का अपीलीय अनुरोध–पत्र दिनांक 25.02.2013 (संलग्नकों सहित) जिसके द्वारा मतदाता पहचान पत्र बनाने तथा राशन कार्ड न मिलने का उल्लेख किया गया है, आपके विभाग से सम्बन्धित है, को इस आशय से अंतरित कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अनुरोधकर्ता के अपीलीय अनुरोध पत्र का निस्तारण अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र मूलरूप में (08 पृष्ठ)।

भवदीय,

05/03/13

(एच0बी0 थपलियाल),
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

संख्या– /रा0नि0आ0अनु–1/1401/2013 तद्दिनांक। (स्पीड पोस्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :– प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव प्राध्यापक (भौतिकी) आवास–पटौटिया बाजार तहसील धूमाकोट जिला पौडीगढवाल(उत्तराखण्ड)246277 मो0 9412996472

(एच0बी0 थपलियाल),
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

पंजीकृत

सेवा में,

मुख्य चुनाव आयुक्त (पंचायत एवं स्थानीय निकाय/उत्तराखण्ड)/
विभागीय अपीलीय अधिकारी, देहरादून।

विषय : "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (संख्या 22)" के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी (जिलाधिकारी पौड़ी) के विरूद्ध प्रथम अपीलीय याचिका की विचारार्थ प्रस्तुति।

महोदय,,

विदित् हो कि अपीलार्थी ने गत् दिनांक 29–12–2012 को लोक सूचना अधिकारी से उक्त विषयक अधिनियम के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु अपना अनुरोध पत्र विधिवत् प्रस्तुत किया था (देखें संलग्नक–1)। तत्पश्चात उनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत् सम्बद्व तृतीय पक्षों को हस्तानान्तरित कर दिया गया (देखें संलग्नक 2, 3, 4 और 5) और अपीलार्थी को सूचना प्रदत्त किये जाने की अधिकतम् समय सीमा (अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तिथि से आगामी 45 दिन के अन्दर) समाप्त हो चुकी है और अपीलार्थी को आज तक वांछित सूचनाएँ अप्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में वह विवश होकर आपके समक्ष अपनी प्रथम अपीलीय याचिका को विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा है और आपसे निष्पक्ष न्याय प्रदत्त किये जाने की अपेक्षा करता है। ज्ञातव्य हो कि अपीलार्थी के अनुरोध पत्र में बिन्दु–1 के तहत वांछित सूचना आपसे सम्बन्धित है।

यदि इस अपीलीय याचिका की प्राप्ति की तिथि से आगामी 30 दिनों के अन्दर अपीलार्थी को यह सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह लोक सूचना अधिकार और विभागीय अपीलीय अधिकार के विरूद्ध 50 लाख रूपये के दावे के साथ सक्षम न्यायालय/आयोग में वाद प्रस्तुत कर देगा जिसका दायित्व स्वयं आपका होगा।

सम्मान सहित।

अपीलार्थी :–

दिनांक 25–02–2013

संलग्नकों की संख्या– 5

प्रो० सुबोध कुमार श्रीवास्तव
प्राध्यापक (भौतिकी)
आवास– पटौटिया बाजार
तहसील– धूमाकोट
जिला– पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) 246277
मोबाइल – 9412996472

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपियां :–

1– सूचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सेक्टर–1, स–30, डिफेन्स कालौनी, देहरादून।
2– अपीलार्थी के अधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– अपीलार्थी के अधिवक्ता, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।

(प्रो० सुबोध कुमार श्रीवास्तव)

संलग्नक—।

पंजीकृत

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,
जिला—पौड़ी गढ़वाल—246001

विषय :— **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (सं0—22) के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु अनुरोध पत्र की विधिवत् प्रस्तुति।**

महोदय,

विदित् हो कि अनुरोधकर्ता स्थानीय राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा (पटौटिया) जिला पौड़ी गढ़वाल, में गत् कई वर्षों से प्राध्यापक (भौतिकी) के पद पर कार्यरत है और पटौटिया बाजार में किराये के मकान में रहता आ रहा है। उक्त विषयक तहत् अनुरोधकर्ता को निम्न सूचनाएँ उपलब्ध करायें :—

1. अनुरोधकर्ता को आज तक उसका मतदाता पहचान पत्र नहीं मिला है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा यह प्रपत्र इस जनपद के समस्त नागरिकों को प्रदत्त किये जाने का दावा किया जा चुका है, ऐसा क्यों? इसकी विधिवत सूचना उपलब्ध करायें।
2. अनुरोधकर्ता आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व अपने राशनकार्ड की प्राप्ति के लिए विधिवत अनुरोध कर चुका है और आजतक उसे अपना राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। गत् दिनों धूमाकोट बाजार में अनुरोधकर्ता से आपके तहसील के पूर्ति विभाग से संबंधित एक कर्मचारी से भेंट होने पर उसने यह स्पष्ट किया कि आपका राशनकार्ड बहुत पहले ही बन चुका है और उसका उपयोग अन्य लोग कर रहें है। मैंने उससे शीघ्र अपना राशनकार्ड स्वयं को सौंपने की माँग की, परन्तु उसने आज तक अनुरोधकर्ता को उसका राशन कार्ड नहीं सौंपा, ऐसा क्यों? इसकी विधिवत सूचना उपलब्ध करायें।
3. उक्त बिन्दु 1 और बिन्दु 2 से सम्बन्धित कार्ड यदि इस पत्र की प्राप्ति से आगामी 30 दिनों के अन्दर अनुरोधकर्ता को प्राप्त नहीं होता है तो वह आपके विरूद्ध 50 लाख रूपये की धनराशि की माँग उसे हुए मान—हानि के रूप में विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष परिचर्चा में करेगा जिसका दायित्व स्वयं आपका होगा।

विदित हो कि उक्त विषयक अन्तर्गत अनुरोधकर्ता अनुरोध शुल्क के रूप में रू0 10/— की धनराशि का भारतीय पोस्टल आर्डर (सं0—12F 456236) संलग्न कर रहा है और आपसे अपेक्षा करता है कि इस अनुरोध पत्र की प्राप्ति से आगामी 30 दिनों के अन्दर अुनरोधकर्ता को उक्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दें। अन्यथा अनुरोधकर्ता बिन्दु—3 में वर्णित दावे का हकदार हो जाये।

धन्यवाद,

अनुरोधकर्ता

दिनांक : 29.12.2012

29-12-2012

संलग्नकों की संख्या—1

प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव
प्राध्यापक (भौतिकी)
आवास : पटौटिया बाजार, तहसील धूमाकोट,
जिला पौड़ी—गढ़वाल, पिन—246277
मो0—9412996472

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपियां :

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (उत्तराखण्ड), देहरादून, (विभागीय अपीलीय अधिकारी)।
2. सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सेक्टर—1 सी—30, डिफेन्स कालोनी, देहरादून (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)।
3. अनुरोधकर्ता के अधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल (जनहित याचिका की प्रस्तुति हेतु)।

29-12-2012

(प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव)

पंजीकृत

संलग्नक-2

संलग्न--10

अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र

//कार्यालय लो0सू0अ0/जिला निर्वाचन अधिकारी गढ़वाल//
संख्या 550 /29–35(5)/2012–13 दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
प्राध्यापक (भौतिकी),
आवास : पटौटिया बाजार,
तहसील धुमाकोट।

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपका पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ।

आप द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 01 सम्बन्धी सूचना निम्न है:–

बिन्दु सं0 01:– आपके पत्र से विदित हुआ की आप को मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आप फोटो पहचान–पत्र हेतु अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसीलदार/बूथ लेबिल आफिसर से सम्पर्क स्थापित कर दिनांक 25 जनवरी 2013 को फोटो पहचान–पत्र सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर अपना फोटो पहचान–पत्र निर्मित करवाये जाने हेतु एक पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो फार्म 6 पर बूथ लेबिल आफिसर को उपलब्ध करायें, ताकि आपके फोटो पहचान पत्र बनाये जाने की कार्यवाही की जा सके । फार्म 6 तहसील स्तर से या बूथ लेबिल आफिसर से प्राप्त कर सकते हैं ।

लोक सूचना अधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी–गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को अनुरोधकर्ता प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव के पत्र की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी–गढ़वाल।

Recieved on date 18-2-2013

संलग्नक-3

संलग्न–7

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी का हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

कार्यालय लोक सूचनाधिकारी / उप जिलाधिकारी, धुमाकोट

संख्या– 02 / सू0का0अधि0 / 2013, दिनांक: 21 जनवरी, 2013

लोक सूचनाधिकारी /
नायब तहसीलदार,
धुमाकोट।

संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके विभाग / उपक्रम से सम्बन्धित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– सूचना का अनुरोध पत्र मूलरूप में।

लोक सूचनाधिकारी /
उप जिलाधिकारी
धुमाकोट

प्रतिलिपि सूचनार्थ– श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष, भौतिक विभाग, राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा (पटोटिया)।

लोक सूचनाधिकारी /
उप जिलाधिकारी
धुमाकोट

Received on date 18-2-2

संलग्नक-4

प्रपत्र-7

कार्यालय जिला प्रौढ़ अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी पौड़ी

पत्रांक 692/30-5 / रा० का० / सू० अ० / दिनांक 24 जनवरी 2013

सेवा में

खण्ड विकास अधिकारी

रिखणीखाल

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रो० सुबोध कुमार श्रीवास्तव प्राध्यापक (भौतिकी) आवास पटोरिया बाजार तहसील धुमाकोट द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी को बिन्दुओं में सूचना उपलब्ध कराना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 29-12-2012 प्रेषित किया गया है, बिन्दु 2 आपके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित है,

1- अतः अनुरोध कर्ता का आवेदन पत्र की छाया प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रही है, कि सम्बन्धित सूचना अनुरोधकर्ता उपलब्ध कराना का कष्ट करे,

भव

जिला प्रौढ़ अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी

पौड़ी गढ़वाल

1- प्रतिलिपि- प्रो० सुबोध श्रीवास्तव प्राध्यापक (भौतिकी) आवास पटोरिया बाजार तहसील धुमाकोट इस पत्र की प्रतिलिपि अनुरोध कर्ता प्रेषित किया जा रही है,

प्रभारी
जिला प्रौढ़ अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी

पौड़ी गढ़वाल

Recieved on date 18-2-2013

संलग्नक-5

पंजीकृत

प्रपत्र-7

धारा 6(3)

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिये प्रारूप

।। कार्यालय लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पौडी ।।

संख्याः-316 /43-लो0सू0अ0-2011-12 दिनॉक पौडी जनवरी 30 2013

लोक सूचना अधिकारी/
अधिशासी अभियन्ता
लोक निमार्ण विभाग पौडी।

श्री प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष भौतिक विभाग रा0 महा0 वि0 नैनीडांडा (पटोटिया) जिला पौडी का अनुरोध पत्र आपको सूचना देने हेतु अंतरित किया जा रहा है आवेदन पत्र पर चाही गयी सूचना बिन्दु सं0 3 आपके विभाग से सम्बन्धित है कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को **30** दिन के अन्दर वाछित सूचना उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें ।

संलग्नः- सूचना का अनुरोध पत्र

लोक सूचना अधिकारी/
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला कार्यालय पौडी।

प्रतिलिपिः- श्री श्री प्रो0 सुबोध कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष भौतिक विभाग रा0 महा0 वि0 नैनीडांडा (पटोटिया) जिला पौडी गढवाल को इस आशय से प्रेषित की आपका अनुरोध पत्र पर आपको सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु उक्ताकित लोक सूचना अधिकारी को अंतरित कर दिया गया है। सूचना प्राप्ति हेतु आप इस विषय में सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क एंव पत्राचार करने का कष्ट करें ।

लोक सूचना अधिकारी/
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला कार्यालय पौडी।

Recieved on date 18-2-2013

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 147/XXV–12/2008(P-2) देहरादून : दिनांक 09 मार्च, 2013

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
नैनीताल।

विषय:- **सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र के हस्तान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2030 दिनांक 5 मार्च, 2013, के माध्यम से प्राप्त श्री विजय सिंह रावत पुत्र श्री गोपाल सिंह रावत, बद्रीपुरा हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें आपके कार्यालय/विभाग से संबधित हैं।

अत: कृपया आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें सीधे आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि श्री विजय सिंह रावत पुत्र श्री गोपाल सिंह रावत, बद्रीपुरा हल्द्वानी, नैनीताल को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

(मस्तू दास)
लोक सूचना अधिकारी एवं
अनुभाग अधिकारी

सूचना का अधिकार

पत्रांक : 2030 विशेष वाहक द्वारा /रा.नि.आ.-1/1400/2013

दिनांक 5/3/2013

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
4–सुभाष रोड़, सचिवालय, परिसर
देहरादून।

महोदय,

कृपया संलग्न श्री विजयसिंह रावत, पुत्रश्री गोपाल सिंह रावत बद्रीपुरा हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 14.02.2013 जो आयोग में दिनांक 01.03.2013 को प्राप्त हुआ है। उक्त अनुरोध पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना जो आपके विभाग से संबंधित हो, कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आवेदन पत्र के साथ रूपये–10/– का पोस्टल आर्डर संख्या–12F 530833 शासकीय खाते में जमा करा दिया गया है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र (छायाप्रति)

भवदीय,

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

संख्या– /रा0नि0आ0अनु–1/1400/2013 तददिनांक।(स्पीड पोस्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ– श्री विजयसिंह रावत, पुत्रश्री गोपाल सिंह रावत बद्रीपुरा हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

निर्वाचन भवन, लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457,2670998
टैलीफैक्स: 2670920,2678945

सेवा में   1271
                                                            01/03/13

श्रीमान् राज्य लोक सूचना अधिकारी
चुनाव आयुक्त देहरादून
उत्तराखण्ड

1600
1/3/13

अ०उ०। 01-3-2013

महोदय

आवेदक को निम्न सूचना प्राप्त करना चाहता है।

अतः महोदय से अनुरोध है। कि आवेदक को बिन्दुवार तिथिवार उचित जानकारी समय से रहते हुए उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे।

(1) आपके द्वारा 11,1999 से वर्तमान तिथी 2012 के एम. ओ. यू. लि. को वर्षों से निर्वाचन मे लगाये जाने पर कु. मो. ओ. यू. संस्था काठगोदाम जिला नैनीताल को आपके द्वारा संस्था ग्राम सभा लोक सभा विधान सभा निकाय स्थानीय का कुल कितना भुगतान किया गया, और कितना अवशेष है और समस्त विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सूचना आवेदक के साथ 10 रुपये का पोस्टल आर्डर स. सलंग्धन है। मय पद नाम एव मोहर एवं राजपतित सत्यापित कर प्रेषित करें।

प्रतिलिपि
पोस्टल स. 12F 530833   प्रार्थी

दि. 14/2/13   विजयसिंह रावत
                                         पुत्र श्री गोपालसिंह रावत
                                         बद्रीपुरा हल्द्वानी
                                         नैनीताल
                                         उत्तराखण्ड

01/3/13

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 149/XXV–12/2008(P-2) देहरादून : दिनांक 09 ~~फरवरी~~ मार्च, 2013

सेवा में,

श्री जीतपाल सिंह रमोला,
निवासी ग्राम धरवालगांव,
तहसील-कण्डीसौंड़,
टिहरी गढ़वाल

विषय:- **सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2033 दिनांक 5 मार्च, 2013 के माध्यम से इस कार्यालय को हस्तान्तरित श्री जीतपाल सिंह रमोला, निवासी ग्राम धरवालगांव, तहसील-कण्डीसौंड़, टिहरी गढ़वाल के सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2013 के साथ संलग्न पत्र दिनांक 20-12-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। आपके उक्त सन्दर्भित आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 07 के माध्यम से वांछित सूचनांओं के क्रम में आदर्श आचार संहिता के सन्दर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता से संबंधित निर्देश एवं तत्संबंध में निर्गत FAQ's की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2- यदि आप उक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न हों तो विभागीय लोक सूचना अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 149 /XXV-12/2008(P-2), तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

2033 विशेष वाहक द्वारा

पत्रांक : /रा.नि.आ.-1/1375/2012

दिनांक 5/3/2013

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड

<u>सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र</u>

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
4-सुभाष रोड़, सचिवालय, परिसर
देहरादून।

महोदय,

कृपया संलग्न श्री जीतपाल चन्द्र रमोला, ग्राम-धरवाल गांव, तहसील-कण्डीसौंड, टिहरी गढ़वाल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 22.02.2013 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 01.03..2013 को प्राप्त हुआ है। उक्त अनुरोध पत्र मूलरूप में (रूपये-10/- का पोस्टल आर्डर संख्या-05F199420 सहित) आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्नक-सूचना का अनुरोध पत्र (मूल रूप में)</u>

(रूपये-10/-का पोस्टल आर्डर संख्या-05F199420 सहित)

भवदीय,

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

<u>संख्या- /रा0नि0आ0अनु-1/1375/2012 तद्दिनांक।(स्पीड पोस्ट)</u>

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-श्री जीतपाल चन्द्र रमोला, ग्राम-धरवाल गांव, तहसील-कण्डीसौंड, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249132 को पुनः इस आशय से प्रेषित कि आपके प्रकरण से सम्बन्धित कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग से अपेक्षित न होने के कारण सम्बन्धित विभाग को आपका अनुरोध पत्र पुनः अन्तरित ~~अग्रसारित~~ किया गया । अग्रेत्तर कार्यवाही सम्बन्धित विभाग से ही की जानी है अतः उपरोक्त पते पर ही सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

1273
01/03/13

अ30 1
01-3-2013
मु.अ.

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

विषय :– 20/12/2012 के पत्र व्यवहार के बारे में पुनः स्मरण पत्र।

महोदय जी,

आप के माध्यम से जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत 20/12/2012 के पत्र भा0पो0आ0न0 05एफ199413 के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन चाहा था, परन्तु आपके द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आपके द्वारा 28/12/2012 पत्रांक/रा0नि0आ01/375/2012 के माध्यम से प्राधिकारी को हस्तांरण प्रपत्र भेजा गया। लेकिन उस पत्र के इलावा मुझे किसी के द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गई है। आप समझ सकते है कि 20/12/2012 के पत्र द्वारा मैं जो सूचनाऐं चाह रहा हूँ, उसका मेरे लिए कितना महत्व है।

20/12/2012 के पत्र की प्रति पुनः संलग्न कर भेज रहा हूँ नये भा0पो0आ0न0 05एफ199420 के साथ ताकि आप सुनिश्चित करवा सके कि मुझे सम्पूर्ण सूचना यथा शीघ्र उपलब्ध करवाने की कृपा अवश्य करवाऐगें।

इस उम्मीद के साथ कि इस बार सूचना शीघ्रता शीध्र अवश्य ही उपलब्ध करवाई जाएगी।

धन्यवाद सहित।

दिनॉक :– 22–02–2013

संलग्न :–

1. पत्र 20/12/2012 की छाया प्रति।
2. आपके पत्र 28/12/2012 की छाया प्रति।
3. भा0पो0आ0न0 05 एफ 199420

भवदीय

जीत पाल चन्द रमोला,
ग्राम :– धरवाल गॉव,
पो0 ऑ0 :– छाम (कण्डीसौड़),
जिला :– टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड 249132 ।

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

विषय :- निम्न प्रश्नों की स्पष्ट जानकारी चाहने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय जी,

उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा 2004-2005 में सहायक अध्यापक एल०टी० के पद विज्ञापन सं०/दिनाँक 01/2004-2005 दिनाँक 04 नवम्बर 2004 के द्वारा निकाले गए थे। जिसकी मैरिट लिस्ट दिनाँक 12/09/2005 को पेपर में प्रकाशित हो गई थी। हम कुछ लोगों को औपबन्धिक श्रेणी में होने के कारण 10-09-2005 को बुलाया गया था। जहाँ पर हमारे प्रमाण पत्र चेक किए गए और सही पाए जाने पर जाँच अधिकारी महोदय द्वारा बधाई देते हुए घर जाने को कहा गया कि शीघ्र ही आपको नियुक्ति पत्र भेज दिए जाऐगें।

पेपर में प्रकाशित मैरिट लिस्ट में नोट लिखा गया था कि जिन अभ्यर्थीयों की नियुक्ति कोटद्वार में, पौड़ी जिले में है जो कोटद्वार के अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र कोटद्वार विधान सभा चुनाव के पश्चात काटे जाऐंगे। परन्तु महोदय ना तो इस जिले में, ना विधानसभा क्षेत्र में मेरी नियुक्ति थी फिर इस आचार संहिता को आधार बना कर क्यों मेरा नियुक्ति पत्र 04-10-2005 काटा गया महोदय। 05-09-2005 से 04-10-2005 के मध्य का समय मेरे और मेरे जैसे अन्य सभी अभ्यर्थीयों के लिए बहुत भारी पड़ गया महोदय, क्योंकिहम इस आचार संहिता के क्षेत्र से बाहर, हर दृष्टि से { मूल निवास, निवास, नियुक्ति स्थल,वोटर आई०डी० आदि} थे। फिर भी हमारे नियुक्ति देरी से काटे गए तथा इस प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ ... नियमावली 1983-1992 जिसके अर्न्तगत यह पद निकले थे और मैरिट सूची में जो अर्ह प्रतिशत चाहिए था उसमे उच्चस्थ होने के बावजूद भी हम पुरानी पैंशन योजना से वंचित रह गए क्योंकि अक्तूबर 2005 से नई पैंशन प्रणाली लागू कर दी गई थी।

अब महोदय आप ही बताऐं क्या भारत के चुनाव आयोग का मार्गदर्शन मिलेगा अभ्यर्थीयों को कि क्यों इस आचार संहिता को दंश वह अभ्यर्थी भी झेलता रहे जो कि उस आचार संहिता के कहीं आस पास भी नहीं आ रहा था।

क्या यह विडंम्बना नहीं कि 67% वाला तो आज पुरानी पैंशन वाला है और 72-75% मैरिट वाला पैंशन से बाहर है, तब भी जब की उस आचार संहिता के क्षेत्रफल में किसी भी रूप में वह अभ्यर्थी नहीं आ रहा था। :-

1. आप कृपा बताने का कष्ट करे कि क्या चुनाव आयोग कि इस आचार संहिता का फर्क पड़ना चाहिए था हमारे जैसे अभ्यर्थीयों पे या नहीं ?
2. क्या चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता के क्षेत्र से दूर-दूर तक वास्ता ना रखने वाले अभ्यर्थीयों का नियुक्ति पत्र भी ना काटने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कहा गया था ?
3. चुनाव आचार संहिता लगने का अर्थ क्या सभी सरकारी काम काज बन्द होना होता है ?
4. चुनाव कहीं होता है चुनाव क्षेत्र कहीं होता है और सरकारी काम काज करने से क्या मात्र इसलिए मना किया जा सकता है कि जिले की एक विधान सभा में आचार सहिंता लागू है या नहीं ?
5. अगर कोटद्वार विधान सभा में आचार संहिता लगी हो तो क्या उस जिले का अधिकारी-बाबू उधमसिँह नगर या हरिद्वार वाले व्यक्ति का वहाँ काम पढ़ने पर काम करने से इसलिए मना किया जा सकता है क्योंकि कोटद्वार में आचार संहिता है ?
6. आप ये मार्गदर्शन देने की कृपा करें की उस विज्ञप्ति के जब सब लोग पुरानी पैंशन का लाभ ले रहे है तो क्या केवल उस पुरानी पैंशन योजना के लाभ से केवल उन अभ्यर्थीयों को ही वंचित रखा जा सकता है जिन्हें कि 10-09-2005 को विभाग के द्वारा पौड़ी बुलाया गया था या नहीं ?
7. कृपा मार्गदर्शन करें की क्या यह न्यायोचित है कि एक ही विज्ञप्ति कि नौकरी होने के बावजूद हमें कोटद्वार के चुनाव आचार संहिता के कारण पुरानी पैंशन युजना से हमें बाहर कर दिया गया है उस चुनाव क्षेत्र से कहीं कहीं का वास्ता ना होने पर भी ?

आशा ही नहीं पूर्ण रूप से आशवस्त हूँ कि आप विषय की महत्ता को समझते हुए मुझे अवश्य ही स्पष्ट मार्गदर्शन देने की महान कृपा करेगें जी।

धन्यवाद सहित।

दिनाँक :- 20/12/2012
संलग्नः- 05एफ 199413 भा०पो०आ०

प्रार्थी
जीत पाल चन्द रमोला
ग्राम :- धरवाल गाँव
तहसील :- कण्डीसौड़,
जिला :- टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड - 249132

पोस्टल आर्डर
रुपए 10.00 Rs.
POSTAL ORDER
किसे अदा करना / To whom payable: PIO/chief electoral officer
किस डाकघर में / At what Office: Dehradun
क्या इसे क्रास किया है / Whether crossed: P
भेजने की तारीख / Date sent: 20/12/2012
05F 199413

सूचना
का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 1053 / रा.नि.आ.-1/1375/2012 विशेष वाहक द्वारा

दिनांक 28/12/2012

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक- 31/12/2012
रजिस्टर क्रमांक- 585 पत्रावली संख्या-

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

Jt. CEO

अनुभाग अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
4-सुभाष रोड़, सचिवालय, परिसर
देहरादून।

महोदय,

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
31/12/12

कृपया संलग्न श्री जीतपाल चन्द्र रमोला, ग्राम-धरवाल गांव, तहसील-कण्डीसौंड, टिहरी गढ़वाल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 20.12.2012 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 26.12.2012 को प्राप्त हुआ है। उक्त अनुरोध पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना जो आपके विभाग / उपक्रम से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

S.O. Elec.

अनुरोध पत्र के साथ संलग्न रूपये-10/- का पोस्टल आर्डर संख्या-05F199413 शासकीय खाते में जमा करा दिया गया है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-सूचना का अनुरोध पत्र (मूल रूप में)

01.01.13
(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

भवदीय,

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी /
सहायक आयुक्त।

संख्या- /रा0नि0आ0अनु-1/1375/2012 तद्दिनांक।(स्पीड पोस्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ- श्री जीतपाल चन्द्र रमोला, ग्राम-धरवाल गांव, तहसील-कण्डीसौंड, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249132

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी /
सहायक आयुक्त।

निर्वाचन भवन, लाडपुर
दूरभाष / 2670457,2670998
टैलीफैक्स: 2670920,2678945

992
26/12/12

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

अ०३०-1
27/12/2012

विषय :- निम्न प्रश्नों की स्पष्ट जानकारी चाहने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय जी,

उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा 2004-2005 में सहायक अध्यापक एल०टी० के पद विज्ञापन सं०/दिनाँक 01/2004-2005 दिनाँक 04 नवम्बर 2004 के द्वारा निकाले गए थे। जिसकी मैरिट लिस्ट दिनाँक 12/09/2005 को पेपर में प्रकाशित हो गई थी। हम कुछ लोगों को औपबन्धिक श्रेणी में होने के कारण 10-09-2005 को बुलाया गया था। जहाँ पर हमारे प्रमाण पत्र चेक किए गए और सही पाए जाने पर जाँच अधिकारी महोदय द्वारा बधाई देते हुए घर जाने को कहा गया कि शीघ्र ही आपको नियुक्ति पत्र भेज दिए जाऐंगे।

पेपर में प्रकाशित मैरिट लिस्ट में नोट लिखा गया था कि जिन अभ्यर्थीयों की नियुक्ति कोटद्वार में, पौड़ी जिले में है जो कोटद्वार के अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र कोटद्वार विधान सभा चुनाव के पश्चात काटे जाऐंगे। परन्तु महोदय ना तो इस जिले में, ना विधानसभा क्षेत्र में मेरी नियुक्ति थी फिर इस आचार संहिता को आधार बना कर क्यों मेरा नियुक्ति पत्र 04-10-2005 काटा गया महोदय। 05-09-2005 से 04-10-2005 के मध्य का समय मेरे और मेरे जैसे अन्य सभी अभ्यर्थीयों के लिए बहुत भारी पड़ गया महोदय, क्योंकिहम इस आचार संहिता के क्षेत्र से बाहर, हर दृष्टि से { मूल निवास, निवास, नियुक्ति स्थल,वोटर आई०डी० आदि} थे। फिर भी हमारे नियुक्ति देरी से काटे गए तथा इस प्रकिया का परिणाम यह हुआ उस सेवानियमावली 1983-1992 जिसके अर्न्तगत यह पद निकले थे और मैरिट सूची में जो अर्ह प्रतिशॉत चाहिए था उसने उच्चस्थ होने के बावजूद भी हम पुरानी पैंशन योजना से वंचित रह गए क्योंकि अक्टूबर 2005 से नई पैंशन प्रणाली लागू कर दी गई थी।

अब महोदय आप ही बताऐं क्या भारत के चुनाव आयोग का मार्गदर्शन मिलेगा अभ्यर्थीयों को कि क्यों इस आचार संहिता को दंश वह अभ्यर्थी भी झेलता रहे जो कि उस आचार संहिता के कहीं आस पास भी नहीं आ रहा था।

क्या यह विडंम्बना नहीं कि 67"% वाला तो आज पुरानी पैंशन वाला है और 72-73"% मैरिट वाला पैंशन से बाहर है . तब भी जब की उस आचार संहिता के प्रोतफल में किसी भी रूप में वह अभ्यर्थी नहीं आ रहा था। :-

1. आप कृपा बताने का कष्ट करे कि क्या चुनाव आयोग ! किइस आचार संहिता का फर्क पड़ना चाहिए था हमारे जैस अभ्यर्थीयों वे या नहीं ?
2. क्या चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता के क्षेत्र से दूर-दूर तक वास्ता ना रखने वाले अभ्यर्थीयों का नियुक्ति पत्र भी ना काटने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कहा गया था ?
3. चुनाव आचार संहिता लगने का अर्थ क्या सभी सरकारी काम काज बन्द होना होता है ?
4. चुनाव कहीं होता है चुनाव क्षेत्र कहीं होता है और सरकारी काम काज करने से क्या मात्र इसलिए मना किया जा सकता है कि जिले की एक विधान सभा में आचार संहिता लागू है या नहीं ?
5. अगर कोटद्वार विधान सभा में आचार संहिता लगी हो तो क्या उस जिले का अधिकारी बाबू उधमसिँह नगर या हरिद्वार वाले व्यक्ति का वहाँ काम पड़ने पर काम करने से इसलिए मना किया जा सकता है क्योंकि कोटद्वार में आचार संहिता है ?
6. आप ये मार्गदर्शन देने की कृपा करें की उस विज्ञाप्ति के जब सब लोग पुरानी पैंशन का लाभ ले रहे है तो क्या केवल उस पुरानी पैंशन योजना के लाभ से केवल उन अभ्यर्थीयों को ही वंचित रखा जा सकता है जिन्हें कि 10-09-2005 को विभाग के द्वारा पौड़ी बुलाया गया था या नहीं ?
7. कृपा मार्गदर्शन करें की क्या यह न्यायचित है कि एक ही विज्ञप्ति कि नौकरी होने के बावजूद हमें कोटद्वार के चुनाव आचार संहिता के कारण पुरानी पैंशन सुजना से हमें बाहर कर दिया गया है उस चुनाव क्षेत्र से कहीं कहीं का वास्ता ना होने पर भी ?

आशा ही नहीं पूर्ण रूप से आशवस्त हूँ कि आप विषय की महत्ता को समझते हुए मुझे अवश्य ही स्पष्ट मार्गदर्शन देने की महान कृपा करेंगें जी।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

जीत पाल चन्द रमोला
ग्राम :- धरवाल गाँव,
तहसील :- कण्डीसैड,
जिला :- टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड - 249132

दिनाँक :- 20/12/2012

संलग्न:- 05एफ 199413 भा०पो०आ०

Received P.O of Rs - 10.00
27/12/2012

सूचना
का अधिकार

सत्यमेव जयते

पत्रांक : विशेष वाहक द्वारा
/रा.नि.आ.-1/1375/2012

दिनांक 28/12/2012

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
4–सुभाष रोड़, सचिवालय, परिसर
देहरादून।

महोदय,

कृपया संलग्न श्री जीतपाल चन्द्र रमोला, ग्राम–धरवाल गांव, तहसील–कण्डीसौंड, टिहरी गढ़वाल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 20.12.2012 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 26.12.2012 को प्राप्त हुआ है। उक्त अनुरोध पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना जो आपके विभाग/उपक्रम से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध पत्र के साथ संलग्न रूपये–10/– का पोस्टल आर्डर संख्या–05F199413 शासकीय खाते में जमा करा दिया गया है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र (मूल रूप में)

भवदीय,
/
(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

संख्या– 1053 /रा0नि0आ0अनु–1/1375/2012 तद्दिनांक।(स्पीड पोस्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ– श्री जीतपाल चन्द्र रमोला, ग्राम–धरवाल गांव, तहसील–कण्डीसौंड, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249132

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

निर्वाचन भवन, लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष / 2670457,2670998
टैलीफैक्स: 2670920,2678945